प्रेस विज्ञप्ति

1/04/2026

ईडी ने इम्फाल नगर निगम के नगर पार्षद तथा मुख्य अभियंता के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दायर की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इम्फाल उप-आंचलिक कार्यालय ने इम्फाल नगर निगम से कार्यादेश प्राप्त करने हेतु जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में तत्कालीन नगर पार्षद जीगैडोन रोंगमेई तथा श्रीमती . मेनका देवी .च, तत्कालीन मुख्य अभियंत्रण अधिकारी, इम्फाल नगर निगम, के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम पीएम)एलए(, 2002 के प्रावधानों के तहत एक अभियोजन शिकायत दायर की है।

ईडी ने जी (नगर निगम के एक पार्षद होने के नाते) गैडोन रोंगमेई .के जीरोंगमेई के नाम .जी . से जाली दस्तावेज प्रस्तुत करके आईएमसी, इम्फाल से कार्यादेश प्राप्त करने के आरोप में इम्फाल नगर निगम के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दायर लिखित शिकायतों के आधार पर मणिपुर पुलिस प्राधिकरणों द्वारा दर्ज प्रथमीकियों के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत जांच प्रारंभ की। श्रीमती चिंगसुबम मेनका देवी, तत्कालीन अभियंत्रण अधिकारी, आईएमसी ने जीगैडोन रोंगमेई द्वारा कार्य निविदाओ .ं हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच नहीं की और जीगैडोन रोंगमेई को दिए गए कार्य अनुबंध आदेशों के संबंध में उचित . प्रक्रियाओं का भी पालन नहीं किया।

ईडी की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि जी गैडोन रोंगमेई ने .अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से, अर्थात् जाली दस्तावेज प्रस्तुत करके, इम्फाल नगर निगम, इम्फाल से अपराध की आय प्राप्त करने का जानबूझकर और प्रत्यक्ष प्रयास किया, तथा लगभग ₹1.88 करोड़ की अपराध की आय इम्फाल नगर निगम द्वारा उनसे वसूल की जानी है। उक्त अपराध की आय का उपयोग उन्होंने व्यक्तिगत खर्चों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए किया, और उन्होंने ऐसी अपराध की आय को बेदाग के रूप में प्रदर्शित किया।

ईडी की जांच में यह उजागर हुआ कि श्रीमती चिंगसुबम मेनका देवी ने विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं विनियमों की जानबूझकर अवहेलना की। उन्होंने जानबूझकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपूर्ण कार्य के विरुद्ध मेज़र बुक में प्रविष्टियाँ करने और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र के बिना भुगतान बिल तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया। अतएव, श्रीमती चसिंग्सुबम मेनका देवी ने जानबूझकर एवं परोक्ष रूप से जी.जी. रोंगमेई को अपराध की आय से संबंधित प्रक्रिया अथवा गतिविधियों में सहायता प्रदान की, जिसमें अपराध की आय का अर्जन/प्राप्ति सम्मिलित है। साथ ही, उन्होंने ऐसी अपराध की आय को बेदाग संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में भी उसे जानबूझकर सहायता की।

पीएमएलए के तहत की गई जांच के दौरान, जी गैडोन रोंगमेई के स्वामित्व .वाली लगभग ₹1.03 करोड़ की अपराध की आय को दिनांक 21/08/2025 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से पहले ही कुर्क किया जा चुका है।

आगे की जांच जारी है।